भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

बिहार सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-3

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिकाएँ	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय-I		
परिचय		
इस रिपोर्ट के बारे में	**1.1**	1
लेखापरीक्षिती रूपरेखा	**1.2**	1
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया	**1.3**	1
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया (प्रारूप कंडिकाएं / निष्पादन लेखापरीक्षा / विषयगत लेखापरीक्षा)	**1.4**	2
निष्पादन / विषयगत लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान सरकार और लेखापरीक्षित इकाईयों की प्रतिक्रिया	**1.5**	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई	**1.6**	4
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली	**1.7**	4
राज्य विधान मंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण की स्थिति	**1.8**	5
अध्याय–II निष्पादन लेखापरीक्षा		
पथ निर्माण विभाग		
भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना	**2.1**	7
ग्रामीण विकास विभाग		
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कियान्वयन	**2.2**	41
अध्याय–III अनुपालन लेखापरीक्षा		
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग		
बिहार महादलित विकास मिशन की कार्यप्रणाली	**3.1**	89
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		
''क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण'' (कैम्पा) निधियों का उपयोग	**3.2**	98
पथ निर्माण विभाग		
परिहार्य व्यय	**3.3**	112
परिशिष्ट	**115**	

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र सेवाओं के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन में वैसे मामले शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2018–19 के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ ही जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2018–19 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार अद्यतन कर शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा परिणाम सीमित नमूना–जाँच पर आधारित है। राज्य सरकार को सभी विभागों के कार्यकलाप की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदृश्य मामलें मौजूद नहीं हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित किए गए हैं।